

राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के समक्ष  
स्थान-कार्यालय सहायक कलेक्टर, मुख्यालय-टोंक

अध्यक्ष :- श्री पारस कुमार जैन (सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी)  
सदस्य :- श्रीमती शिप्रा जैन सहायक कलेक्टर, मुख्यालय-टोंक  
याची/वादी/परिवादी :- बन्ना पुत्र हरभज्या जाति बगरिया निवासी ग्राम कालीहर्डिया तह0  
मालपुरा थाना लाम्बाहरिसिंह जिला टोंक  
प्रतिवादी/प्रत्यार्थी:- न्यायालय तहसीलदार मालपुरा.  
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक की पत्रावली संख्या :- 2/2022  
उपस्थित :- श्री रामअवतार सोनी अभिभाषक अपीलान्त  
श्री सै0 मजहर आलम पेरोकार सरकार


अधिनिर्णय

दिनांक 12.03.2022

पक्षकारों के बीच विवाद राष्ट्रीय लोक अदालत के अवधारणा के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पक्षकारों ने मामले पर समझौता कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया गया है :-

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधिनस्थत न्यायालय तहसीलदार, मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 24.8.2021 के द्वारा अपीलांत को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1010/1 कुल रकबा 5.00 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मोरला तहसील मालपुरा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 250 रूपये पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपीलांत ने अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं होने कब्जा छोड़ने व भविष्य में भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ-पत्र पेश किया है। परोकार सरकार भी सहमत है कि यदि वादी ऐसा करता है तो सजा माफ किया जावे। अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना का मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार-मालपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2021 से अपीलांत को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है, शेष निर्णय यथावत रहेंगा। यदि भविष्य में पुनः अतिक्रमण करता है तो उसके लिए भू-राजस्व अधिनियम के साथ भारतीय दण्ड संहिता में भी मुकदमा दर्ज करवाया जा सकेगा।




सदस्य

शिखा जैन

लोक अदालत  
सहायक सेवा प्राधिकरण  
टोंक (राज0)





अध्यक्ष

पारस कुमार जैन

लोक अदालत  
सहायक सेवा प्राधिकरण  
टोंक (राज0)

